न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—98 / 2015 / 223 (2015 / 00289)

1. बिरदी देवी पत्नि हीरालाल पुत्री पन्नालाल, जाति बलाई, निवासी, साखून, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. कंवरी देवी पत्नि श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी दूदू हाल निवासी खेड़ा पोस्ट ममाणा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।
3. नाथू दत्तक पुत्र पन्नालाल, जाति बलाई, निवासी ममाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, जिला जयपुर दिनांक 29.92009 अंतर्गत वाद संख्या 4 / 2009 नवीन वाद संख्या 95 / 2009.

उपस्थितः—

1. श्री रामजीलाल शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, वकीलरेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 2.
4. श्री जसराज जयपाल एवं श्री मंजूर अली, वकील रेस्पो0 संख्या 3

निर्णय

दिनांक :—11.10.2018

1. हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील डिक्री / टी0ए0 / 2820 / 2011 बउनवानी नाथू बनाम बिरदी देवी एवं अन्य में नाथू द्वारा मान0 मण्डल के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील में मान0 मण्डल द्वारा दिनांक 17.3.2015 को दिये गये निर्णय की पालना में दर्ज किया गया है ।
2. मान0 मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.3.2015 में नाथू द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2010 को निरस्त करते हुए प्रकरण को इस न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर बिरदी देवी द्वारा प्रस्तुत अपील को पुनः निर्णित करे ।
3. प्रकरण संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया बिरदी देवी पुत्री पन्ना ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 पिता—पुत्री है । विवादित आराजी खतौनी संख्या 21 की आराजी खसरा संख्या 1190 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा तथा खतौनी संख्या 188 के आराजी खसरा नंबर 528 / 1413 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खतौनी संख्या 221 के आराजी खसरा नंबर 65 / 3 रकबा 6

बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 132/2 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 306/3 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा वाकै ग्राम ममाणा तहसील मौजमाबाद में स्थित है जिसमें वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से हिस्सा है तथा दोनों बराबर काबिज काश्त है । विवादित आराजियात का विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है । वादीनी के कोई जायंदा पुत्र नहीं है और वादीनी के पिता वृद्ध है जिसकी वृद्धावस्था होने का कुछ लोग नाजायज लाभ उठाना चाहते है और आये दिन बहला फुसलाकर आराजियात हड़पना चाहते है । वादीनी प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा सुश्रुषा करती है लेकिन फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 बहकावे में आ रहा है और पुस्तैनी मौरूसी आराजियात को हस्तातंरण करने पर आमादा है । विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्य 1 की क्रयशुदा आराजियात नहीं है बल्कि पुश्तैनी आराजियात है । अतः वाद स्वीकार कर वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । वादीनी एवं प्रतिवादीगण में विवादित आराजियात का तकासमा बाई मीट्स एण्ड बोण्डस किया जाकर लगान की फेटबन्दी की जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया जावे । वादीनी के हिस्से की आराजी हेतु प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.9.2009 द्वारा वादीनी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर वादीनी को जमाबंदी संवत् 2050–53 के वादग्रस्त खसरा नंबर 191/1495 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा नंबर 528:1413 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम ममाणा में पन्नालाल पुत्र रामू, जाति बलाई के दर्ज 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्से यानि कुल के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्ताकर घोषित किया तथा प्रतिवादी संख्या 4 को वादीनी के हिस्से में मजाहमत नहीं करने हेतु पाबंद किया तथा शेष खाता संख्या 221 के खसरा नंबर 65/3, 132/2 बीघा व 309/3 कुल रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा का वाद एवं संपूर्ण वाद का तकासमा की रिलीफ खारिज कर दी । अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट बिरदी देवी ने प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने का निवेदन किया ।

4. इस पर इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 56/2009 बउनवानी बिरदी देवी बनाम कंवरी देवी दर्ज कर निर्णय दिनांक 29.11.2010 को पारित किया जिसमें अपीलांट बिरदी देवी की अपील स्वीकार की गई तथा अधी0न्याा0 उपखण्ड अधिकारी, दूदू का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.9. 2009 को निरस्त कर दिया गया तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री कर विवादित आराजियात में पन्ना के स्थान पर उसके हिस्से तक अपीलांट बिरदी देवी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया तथा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 के मध्य तकासमे के आदेश भी जारी कर दिये गये ।

5. न्यायालय हाजा के द्वारा प्रथम अपील में दिये गये निर्णय दिनांक 29.11. 2010 के विरूद्ध नाथू दत्तक पुत्र पन्नालाल द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की गई । इस अपील डिक्री/टी0ए0/2820/2011 बउनवानी नाथू बनाम बिरदी देवी में मान0 मण्डल द्वारा दिनांक 17.3.2015 को निर्णय पारित किया गया तथा जिसमें द्वितीय अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2010 को अपास्त कर दिया गया तथा प्रकरण पुनः इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुसार बिरदी देवी द्वारा प्रस्तुत अपील पर पुनः निर्णय पारित किया जावे ।

6. माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय की पालना में अपील दर्ज कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं जाहिर किया कि अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों एवं तथ्यों पर गौर किये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत निर्णय पारित किया है । अधी0न्याया0 ने तनकियात का निर्णय भी भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को मध्य नजर रखते हुए पारित नहीं किया है तथा नाथू को गोदपुत्र की हैसियत से आराजी में हिस्सा देने की भी कानूनी भूल की है । बिना रजिस्टर्ड गोदनामे के गोदपुत्र नहीं माना जा सकता है । रेस्पो0 संख्या 4 द्वारा कोई काउण्टर क्लेम भी जवाब दावे के साथ पेश नहीं किया गया फिर भी अधी0न्याया0 ने बिना मांगे ही वसीयत को स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या 4 के हक में खातेदारी की जो घोषणा की है वह कानूनन निरस्तनीय है । इसके साथ ही यह भी कथन किया कि अदालत मातहत ने अपने निर्णय में कहीं भी प्रकट नहीं किया है कि स्व0 पन्नालाल ने रेस्पो0 संख्या 4 को कब गोद लिया एवं गोदपुत्र होन के नाते या वसीयत के नाते उसने अब तक विरासत बाबत् क्या कार्यवाही की । आगे उन्होंने यह भी कथन किया कि मान0 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, दूदू में नाथू पुत्र किशना के पक्ष में विवादित भूमि बाबत् की गई वसीयत को दिनांक 22.12.2000 को निरस्त घोषित करवाने का वाद प्रस्तुत किया था जो डिक्री किया जाकर इस वसीयत दिनांक 22.12.2000 को निरस्त घोषित कर दिया गया है । अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निम्न न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये । 2015 डी0एन0जे0 राज0 पेज 552, 2014 डी0एन0जे0 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 697, 2013 डी0एन0जे0 राज0 पेज 1037, 2011 डी0एन0जे0 राज0 पेज 158, 2012 डी0एन0जे0 राज0 पेज 633. उक्त के आधार पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाये जाने तथा अपीलांट/वादीनी का वाद विरूद्ध रेस्पो0 डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

7. दौरानें बहस विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 3 ने जाहिर किया कि जिस भूमि की खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया गया है उसके दो भाग है । प्रथम भाग उस भूमि से संबंधित है जिसके बाबत् वसीयत दिनांक 21.12.2000 को पन्नालाल पुत्र रामा द्वारा बहक नाथू प्रतिवादी संख्या 4 के हक में निष्पादित की गई है । यह भूमि खसरा नंबर 65/3 रकबा 6–19–00, खसरा नंबर 132/2 रकबा 13–19–00 एवं खसरा नंबर 300/3 रकबा 9–17–00 बीघा कुल रकबा 30–15–00 बीघा है । दूसरे भाग की भूमि वह है जिनकी वसीयत नहीं की गई है, इनके खसरा नंबर 11/9 रकबा 5–11–00, खसरा नंबर 528/1463 रकबा 5–15–00 कुल रकबा 11–06–00 बीघा है । वसीयत रजिस्टर्ड है तथा वसीयतनामा प्रदर्श–2 को वसीयत के साक्षी डी0डब्ल्यू0 2 श्री पूसाराम पुत्र सोहनलाल द्वारा अधी0न्याया0 में स्वीकार किया गया है अतः यह वसीयत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1968 के तहत सिद्ध है । इस बाबत् उन्होंने ए0आई0आर0 2013 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 3109 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया । आगे यह भी कथन किया कि राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के नियम 132 में रजिस्टर्ड वसीयत मान्य है तथा इसके आधार पर नामांतकरण खोला जा सकता है । इस संबंध में 2011 आर0बी0जे0 (18) पेज 712 एवं 2011 आर0बी0जे0 (10) पेज 612 के न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत करते हुए बताया कि उपरोक्त वसीयत प्रतिवादी नाथू के हक में न्यायिक सिद्धांतों से पूर्णतया सही एवं प्रमाणित है । विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने आगे यह भी कथन किया कि अपीलांट के अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 21.1.2016 को बिरदी देवी बनाम नाथू

में पारित एकपक्षीय आदेश एवं डिक्री की नकल पेश की थी जिसमें वसीयत को निरस्त कर दिया गया था । इस संबंध में मान0 सिविल न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 को स्वीकार कर लिया गया है तथा एकपक्षीय आदेश दिनांक 20.1.2016 को निरस्त कर दिया गया है। अतः वसीयत अभी भी प्रभावी है । आगे उन्होंने प्रकरण से संबंधित गोदनामे के मुद्दे बाबत् बहस में कथन किया कि गोदनामा दिनांक 4.1. 2001 को विधिक प्रक्रिया से निष्पादित किया गया है जिस पर गोद लेने वाले माता एवं पिता क्रमशः श्रीमती फूला पत्नि पन्ना एवं पन्ना पुत्र रामा के अंगूठा निशानी के रूप में हस्ताक्षर किये हुए है जो उनकी सहमति को व्यक्त करते है । इसी प्रकार गोदनामे की लिखावट पर गोद देने वाले जांयदा पिता किशना पुत्र रामा तथा जायंदा माता केसर पत्नि किशना के भी अंगूठा निशानी के रूप में हस्ताक्षर मौजूद है जो कि गोद देने की सहमति है । इस प्रकार गोद देने वाली माता–पिता व लेने वाले माता–पिता की स्वीकृति से गोदनामा पूर्णतः विधि सम्मत् है । यह भी कथन किया कि गोद लेने वाली मॉ फूला देवी द्वारा डी0डब्ल्यू0 2 के रूप में बयान में भी गोदनामे एवं वसीयत दोनों को स्वीकार किया है । यह भी जाहिर किया कि वादीया/अपीलांट श्रीमती बिरदी देवी ने अपने बयान पी0डब्ल्यू0 1 में जिरह के दौरान यह कथन किया कि मेरे पिता ने नाथू को गोद लिया था तब मेरा व मेरे पिता के बीच में झगड़ा हुआ था। यह वादीया की गोदनामा की स्पष्ट स्वीकारोक्ति को व्यक्त करता है । गोदनामा को साक्ष्य अधि0 की धारा 18 (3) एवं धारा 58 के तहत कानूनन मान्य बताया तथा स्वीकारोक्ति सबसे बड़ा सबूत है यह कहते हए गोदनामे को पूर्णतः विधिक बताया तथा इस संदर्भ में माननीय उच्चत्तम न्यायालय की न्यायिक नजीर ए0आई0आर0 1960 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 100 का भी उल्लेख किया । इसके आधार पर गोदनामे को पूर्णतः प्रमाणित बताया गया ।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने निर्वसीयत भूमि रकबा 11–05–00 के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के तहत श्रीमती बिरदी देवी का उसके पिता पन्नाराम की जायदाद में कोई हक नहीं बनता है । उसके पिता की मृत्यु जनवरी, 2001 में हो गई थी तथा मृत्यु के तत्काल बाद उत्तराधिकार प्राप्त हो जाते है । अतः यह सन् 2005 के पूर्व उत्तराधिकार का अधिकार है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 6 में संशोधन सन् 2005 में हुआ है । दिनांक 20.12.2004 से ही पुत्री को उत्तराधिकारी माना है उससे पूर्व नहीं माना है । इस तिथि से पूर्व का कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी 2005 के संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा । अधि0 में संशोधन प्रोसपेक्टिव है न कि रेट्रोस्पेक्टिव । इस संबंध में उन्होंने मान0 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2015 डी0एन0जे0 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 1088 का भी हवाला दिया तथा जाहिर किया कि ऐसी परिस्थिति में अपीलांट बिरदी देवी निर्वसीयत कृषि भूमि में भी बतौर उत्तराधिकारी कोई हिस्सा (लड़की होने के नाते) प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है । वसीयत की हुई भूमि एवं निर्वसीयत भूमि दोनों में वादीया/अपीलांट का कोई हिस्सा नहीं होने के कारण अपील को खारिज करने का निवेदन किया ।

9. हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन एवं अवलोकन किया । अब न्यायालय के समक्ष परीक्षण का यह बिन्दु है कि क्या अपीलांट/वादिया वादग्रस्त आराजी में संपूर्ण भूमि की एकमात्र खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी है । यदि नहीं तो कानूनन कितने हिस्से की घोषणा की अधिकारिणी है । इस बाबत् विवेचन हेतु वादग्रस्त आराजी को निम्नानुसार दो भागों में विभक्त किया जाना उचित रहेगा ताकि निर्णय में सुविधा रहे ।

<u>वादग्रस्त आराजी का प्रथम भाग</u> (वे भूमियां जिनकी वसीयत की गई है) ये भूमियां हैः– खसरा नंबर 65/3, 132/2, 309/3 कुल रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा

<u>द्वितीय भाग</u> (वे भूमियां जिनकी वसीयत नहीं की गई है अर्थात् निर्वसीयत भूमियां) जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

खतौनी संख्या 21 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा

खतौनी संख्या 188 रकबा 5 बीधा 15 बिस्वा

10. अब प्रथम भाग की भूमियां जिनकी वसीयत की गई है, उनमें वादिया/अपीलांट के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् निर्णय किया जाना हैः–

इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श ए–2 वसीयत पत्र का अवलोकन कियाजाना समीचीन है । उपलब्ध वसीयत पत्र दिनांक 21.12.2000 को इन प्रथम भाग की वर्णित भूमियों के बाबत् पन्ना पुत्र रामा के द्वारा नाथू के पक्षमें निष्पादित किया गया है तथा यह दिनांक 22.12.2000 को पंजीबद्ध भी करवाया गया है । उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार यह वसीयत पत्र (दिनांकित 22.12.2000) माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.1.2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया था किन्तु मा0 सिविल न्यायालय (वरिष्ठ न्यायाधीश, दूदू) द्वारा इस निरस्ती आदेश को अपने आदेश दिनांकित 1.5.2018 के द्वारा अपास्त कर दिया गया है । इससे स्पष्ट है कि इस वसीयत की वैधता के संबंध में प्रकरण मा0 सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तथा मान0 सिविल न्यायालय द्वारा इस संबंध में अंतिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में इस वसीयत के आधार पर इस स्तर पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना इस न्यायालय द्वारा उचित नहीं होगा। मा0 सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत की वैधता के बाबत् दिए गए अंतिम निर्णय के आधार पर पक्षकार इन वादग्रस्त भूमियों में अपने हिस्से की घोषणा बाबत् चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है ।

11. अब न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार वर्णित द्वितीय भाग की भूमियों जिनकी वसीयत नहीं की गई है अर्थात् निर्ववसीयत भूमियों में अपीलांट/वादिनी के हक–हिस्से बाबत् निर्णय किया जाना है ।

12. इस संबंध में निर्णय से पूर्व दत्तक पुत्र नाथू के पक्ष में पन्ना द्वारा दिनांक 4.1.2001 को लिखे गए गोदनामे की मा0 राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने आदेश दिनांकित 17.3.2015 में उल्ेख किया है कि '' हिन्दू एडोप्सन एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट 1956 कहीं भी अभिनिर्धारित नहीं करता है कि गोदनामे का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य हो ।'' आर0बी0जे0 (20) 2013 पेज 608 की नजीर में भी मण्डल की खण्डपीठ ने पाया है कि जहां गोदनामा पंजीकृत नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में गोद के बिन्दु को नजरअदांज नहीं किया जा सकता है अपितु अन्य साक्ष्य से इस ओर देखा जा सकता है ।''

13. उपलब्ध गोदनामे से स्पसष्अ है कि यह पंजीकृत गोदनामा नहीं है । मा0 राजस्व मण्डल द्वारा उपरोक्तानुसार जो अपंजीकृत गोदनामे के बाबत् स्थिति स्पष्ट करते हुए गोदनामे का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं माना है तथा मात्र अपंजीकृत होने से इस नजर अंदाज नहीं किया जाकर अन्य साक्ष्य को भी देखा जाकर निर्णय लिया जाने बाबत् निर्देश दिए है ।

14. इस हेतु इस गोदनामे के बाबत् प्रस्तुत अन्य साक्ष्य/सबूत के आधार पर इसकी प्रमाणिकता को तय किया जाना आवश्यक है । अर्थात् यह विधिक प्रक्रिया से निष्पादित किया गया है ।

15. इस हेतु पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन पर पाया गया है कि यह गोदनामा दिनांक 4.1.2001 को स्टाम्प पेपर पर पन्ना पुत्र रामा द्वारा नाथू पुत्र किशना को दत्तक पुत्र मानते हुए लिखा गया है । गोदनामे पर गोद देने वाले माता एवं पिता एवं गोद लेने वाले माता एवं पिता के अंगूठा निशानी स्वरूप हस्ताक्षर है जो गोदनामे में अंकित तथ्यों की

स्वीकारोक्ति है । गोदनामे पर गोद लेने वाले पन्ना पुत्र रामा तथा फूला पत्नी पन्ना की अंगूठा निशानी है । इसी के नीचे गोद देने वाली मां केशर पत्नी किशना की अंगूठा निशानी है जो उसकी जायंदा माता है । इसी प्रकार नाथू के जायंदा पिता श्री किशना पुत्र रामा की अंगूठा निशानी भी प्रदर्श–ए–1 पर मौजूद है । इस प्रकार गोद देने वाले एंव लेने वालो के द्वारा गोद की प्रक्रिया को अपनाया गया है ।

16. इस गोदनामे को गोद लेने वाले मां फूला देवी ने शपथपूर्वक गोदनामे को स्वीकार किया है तथा उसके बयान डी0डब्ल्यू0 2 के रूप में परीक्षित किये गये है तथा साक्ष्य के दौरान प्रदर्श–ए–1 लिखित गोदनामा को प्रदर्शित भी करवाया गया है ।

17. अपीलांट वादीनी श्रीमती बिरदी देवी ने अपने बयान पी0डब्ल्यू0–1 में जिरह में कहा है '' मेरे पिता ने नाथू को गोद लिया था तब मेरे एवं मेरे पिता के बीच झगड़ा हुआ था'' यह वादिनी की स्पष्ट स्वीकारोक्ति ही मानी जायेगी । इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ए0आइ0आर0 1960 सुप्रीमकोर्ट पेज 100 हेडनोर्ट–सी को प्रासंगिक माना जा सकता है जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 की व्याख्या करते हुए निर्धारित किया है किः–

''An admission is the best evidence that, an opposing party can rely upon, and though not conclusive is decisive of the matte, unless successfully withdrown or proved erroneous. ''

प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी बिरदी ने नाथू को गोद लेने बाबत् स्वीकारोक्ति की है तथा इस स्वीकारोक्ति को न तो वापस लिया है तथा न ही इसे गलत होना सिद्ध किया है । अतःयह स्वीकृति प्रकरण में नाथू को गोद लेने बाबत् महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में है ।

18. उक्त के अतिरिक्त डी0डब्ल्यू0 3 पूसाराम पुत्र सोहनलाल ने अपने बयानों में गोदनामा की लिखावट प्रदर्श–ए–1 को स्वीकार किया है तथा अपने हस्ताक्षर होने को भी स्वीकार किया है । गोदपुत्र नाथू ने भी पी0डब्ल्यू0 2 में अपने बयानों में गोद जाना स्वीकार किया है ।

19. उपरोक्त तथ्यों से यह जाहिर है कि अपंजीकृत गोदनामे को समुचित साक्ष्य/सबूतों के आधार पर नाथू के दत्तक पुत्र होने बाबत् सिद्ध किया गया है । नाथू के दत्तक पुत्र नहीं होने बाबत् कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे नाथू को गोद नहीं लिया जाना जाहिर होता हो । प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 (20) 2013 पेज 608 मा0 राजस्व मण्डल ने निर्धारित किया है कि जहां पंजीकृत गोदनामा नहीं हो वहां गोद के बिन्दु को सिद्ध करने हेतु अन्य समुचित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जायेंगे । प्रस्तुत प्रकरण में गोद बाबत् समुचित एवं पर्याप्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर गोदनामे को सिद्ध किया गया है।

20. इस बाबत् विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर 2015 (2) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 552 के तथ्य प्रकरण से भिन्न है जो इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है । इसी प्रकार उनके द्वारा प्रस्तुत नजीर 2011 डी0एन0जे0 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 158 के तथ्य भी प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते है । इसमें गोदनामे की स्वीकृति नहीं होने के कारण इसे कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया गया था जबकि कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया गया था जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई बात् नहीं है, इसे दोनों पक्षों द्वारा विधिवत् स्वीकार किया गया है तथा परीक्षण में भी स्वीकार किया गया है ।

21. आगे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा कानूनी दृष्टांत 2012 (2) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 633 पेश किया गया है उसके तथ्य भी प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं होते है । प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामें को निरस्त

करने का कोई वाद/दावा लंबित नहीं है जिसका निस्तारण किया जा रहा है । यहां खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है जिसका क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है । अपीलांट का अनुतोष भी इसी बाबत् है ।

22. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में न्यायालय का यह अभिमत है कि रेस्पो0 द्वारा गोदनामा दिनांक 4.1.2001 को अपंजीकृत होने की स्थिति में समुचित एवं पर्याप्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नाथू को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया गया है तथा इस हेतु संपूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया है । अपीलांट पक्ष में बिरदी देवी के बयान में इसकी स्वीकृति जाहिर होती है तथा उन्होंने अपने पक्ष में ऐसा कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जो गोदनामे के तथ्यों को गलत सिद्ध करता हो ।

23. अब न्यायालय को यह बिन्दु तय करना है कि निर्वसीयत कृषि भूमियों सम्पति में अपीलांट/वादिया एवं दत्तक पुत्र नाथू को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है तथा यदि हां तो कितना हिस्सा प्राप्त होगा।

24. इसे निर्धारित करने से पूर्व यह देखा जाना जरूरी है कि भूमियां पैतृक है या स्वअर्जित ? रिकार्ड अवलोकन से ये भूमियां पैतृक सिद्ध नहीं होती है। अधी0न्याया0 ने भी इन भूमियों को पैतृक नहीं माना है इन भूमियों के पैतृक होने बाबत् वादिनी द्वारा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया है ।

25. इन भूमियों (कुल रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा) के बाबत् विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि वादीनी ही पन्ना की एकमात्र जायंदा पुत्री है । गोदनामा गलत है । अतः उन्हें ही संपूर्ण भूमियों का खातेदार घोषित किया जावे।

26. इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने निवेदन किया कि अपीलांट बिरदी देवी का इन कृषि भूमियों में कोई हिस्सा नहीं है । उसके पिता की मृत्यु जनवरी, 2001 में हो गई थी । मृत्यु के तत्काल बाद ही उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है यह 2005 के पूर्व का उत्तराधिकार का अधिकार है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 6 में संशोधन सन् 2005 में हुआ है । दिनांक 20.12.2004 से ही पुत्री को उत्तराधिकारी माना है उससे पूर्व नहीं । इस तिथि से पूर्व कोई मुकदमा चल भी रहा हो तो उसमें भी उसे सन् 2005 के संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा । आगे उन्होंने इस संशोधन को प्रोसपेक्टिव बताया न कि रिट्रोस्पेक्टिव । इस संबंध में उन्होंने न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी बिरदी देवी इन कृषि भूमियों (निर्वसीयत) में भी लड़की होने के नाते बतौर उत्तराधिकारी कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। इस आधार पर अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

27. इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, बहस पर गौर किया गया तथा प्रस्तुत कानूनी नजीर का भी ससम्मान अवलोकन किया गया ।

28. रेस्पोडेंट पक्ष की ओर से प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत 2015 डी0एन0जे0 (सुपीम कोर्ट) पेज 1088 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश एवं अन्य बनाम फूलदेवी वगैरह में हिन्दू उत्तराधिकार अधि0. 1956 की धारा 6 में 2005 में संशोधन बाबत् विस्तृत व्याख्या कर निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैः–

Amendment made in section 6 by amended Act of 2005 is prospective in nature.

इसके साथ ही यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किः–

'' We hold that the rights under the amendment are applicable to living dauthters of living coparceners as on 9-9-2005 irrespective of when such daughters are born"

29- हस्तगत प्रकरण में उक्त निर्वसियत कृषि भूमियां अपीलांट/वादीनी की पैतृक/पुश्तैनी कृषि भूमियां होना उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जाहिर होना नहीं पाया जाता है ऐसा अधी0न्याया0 द्वारा भी माना गया है ।

30- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 पुश्तैनी सम्पति में पुत्रियों को coparcenery rights के संबंध में लागू होती है न कि स्वअर्जित सम्पति के संबंध लागू होती है । चूंकि प्रश्नगत भूमि पन्ना की स्वअर्जित सम्पति होना रिकार्ड के अनुसार पाया जाता है । अतः प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते है ।

31- हस्तगत प्रकरण पन्ना की 2001 में मृत्यु हो जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान लागू होते है ।

धारा–8 पुरूष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम–निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरूष की सम्पति इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखि को न्यागत होगीः–

(क) प्रथमतः, उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग 1 मं विनिर्दिष्ट संबंधी हैः

(ख) द्वितीयतः, यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैः

(ग) तृतीयतः, यदि दोनों वर्गो में से किसी का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों कोः तथा

(घ) अन्ततः, यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक के बन्धुओं को ।

32- चूंकि अपीलांट/वादीनी पन्ना की जायन्दा पुत्री है तथा अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी है । अतः प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण अपने पिता की निर्वसीयत कृषि भूमियों में विरासतन अपना हक रखती है।

33- इसी प्रकार नाथू चूंकि पन्ना का दत्तक पुत्र होना रिकार्ड एवं विवेचन के अनुसार सिद्ध होना पाया जाता है । अतः उसे भी धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधि0 1956 के तहत पिता की विरासत में हक प्राप्त होगा चूंकि वह भी प्रथम श्रेणी का वारिस है ।

34- अतः उक्त दोनों भाई बहनों का अपने पिता की उक्त उल्लेखित निर्वसियत सम्पति में हिन्दू उत्तराधिकारी अधि0 1956 की धारा 8 के अनुसार बराबर–बराबर हिस्सा है तथा इसी अनुसार अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है ।

35- उक्त समग्र विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.9.2009 जिसके द्वारा पन्ना पुत्र रामा की निर्वसीयत कृषि भूमियों खसरा नंबर 191/1495 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नंबर 528/1413 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा अवस्थित ग्राम ममाणा तहसील मौजमाबाद में पन्ना पुत्र रामा के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में से अपीलांट बिरदी देवी को 1/2 हिस्सा एवं रेस्पो0 संख्या 4 नाथू दत्तक पुत्र पन्ना को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है, को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

36. निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर